

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

// आदेश //

बिलासपुर, दिनांक : 14/03/2024

क्र. 2489/स्था./प्रशा./2024 :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्र. एफ 9-6/2023/38-2 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा डॉ. धनंजय मिश्र, प्राणीशास्त्र विभाग, डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़ (छ.ग.) की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए इन्हें पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में जीव विज्ञान संकाय के विषय समूह में रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।

राज्य शासन के उपरोक्त आदेश के तारतम्य में डॉ. धनंजय मिश्र को सह प्राध्यापक (एसोसिएट प्रोफेसर) पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति के सामान्य शर्तों पर शासन के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रतिनियुक्ति किया जाता है।

आदेशानुसार


14/03/2024
कुलसचिव


पृ.क्रमांक 2490/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक: 14/03/2024

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. डॉ. धनंजय मिश्र, प्राणीशास्त्र विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

Received
Anish
16/3/24


प्रभारी
स्थापना/प्रशासन

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 135 / वनस्पति / 2024

बिलासपुर, दिनांक : 16 / 03 / 2024

प्रति,

डा. श्रीमति वीणापाणी द्वे
प्राध्यापक

विषय :- वनस्पति

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 16 / 03 / 2024

पृ. क्र. 136 / वनस्पति / 2024
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।


विभाग प्रमुख

विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. Q 126/ Bot/ - /2024

बिलासपुर, दिनांक : 19/01/2024

प्रति,

डा. नीलिमा तिवारी

विषय :- अनुमति विज्ञाप

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. Q 127/ Bot/ - /2024
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक : 19/01/2024

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

अनुमति विज्ञाप विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी बिरकोनां मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 154/वनस्पति विज्ञान/2024

बिलासपुर, दिनांक : 29/03/2024

प्रति,

डॉ. शिल्पा विनोदिया
अतिथि शिक्षक

विषय :- वनस्पति विज्ञान

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

पृ. क्र. 155/वनस्पति विज्ञान/2024
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

आदेशानुसार
विभाग प्रमुख
बिलासपुर, दिनांक : 29/03/2024

विभाग प्रमुख
वनस्पति विज्ञान विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी विरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 156 / ज-उ / विज्ञान / 2024

बिलासपुर, दिनांक : 01 / 04 / 2024

प्रति,

डॉ. सीरता चन्द्रवंशी

(अतिथि शिक्षक)


विषय :- ज-उ विज्ञान

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार



विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 157 / ज-उ / विज्ञान / 2024

बिलासपुर, दिनांक : 01 / 04 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

ज-उ विज्ञान विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 18/शासनशाख/2024

बिलासपुर, दिनांक : 01/04/2024

प्रति,

डॉ. तरुण कुमार पावले
अतिथि शिक्षक

विषय :- शासन-शाख

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 19/शासनशाख/2024

बिलासपुर, दिनांक : 01/04/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

शासनशाख विभाग

प्रति,

कुलसचिव,

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर


विषय :- कार्यभार ग्रहण करने बाबत।


संदर्भ :- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 9-6/2023/38-2 दिनांक 14.03.2024 एवं विश्वविद्यालय आदेश क्र. 2489/स्था./प्रशा./2024 दिनांक 14.03.2024 के तारतम्य में।

—0—

उपरोक्त संदर्भित आदेश के तारतम्य में मैं डॉ. धनंजय मिश्र, प्राणीशास्त्र, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से कार्यमुक्त होने के पश्चात् आज दिनांक 16.03.2024 के पूर्वाह्न पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो गया हूँ।

संलग्न :- 1. संदर्भित आदेश की प्रति।
2. महाविद्यालय का कार्यमुक्त आदेश।


प्रशासक
स्थापना विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्व
विद्यालय (छ.ग.)

भवदीय

16.3.24
डॉ. धनंजय मिश्र

पति,

कुलसचिव,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर


विषय :- कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ :- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 9-6/2023/38-2 दिनांक 14.03.2024 एवं विश्वविद्यालय आदेश क्र. 2489/स्था./प्रशा./2024 दिनांक 14.03.2024 के तारतम्य में।

—0—

उपरोक्त संदर्भित आदेश के तारतम्य में मैं डॉ. धनंजय मिश्र, सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से कार्यमुक्त होने के पश्चात् आज दिनांक 16.03.2024 के पूर्वाह्न पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो गया हूँ।

संलग्न :- 1. संदर्भित आदेश की प्रति।
2. महाविद्यालय का कार्यमुक्त आदेश।

भवदीय

डॉ. धनंजय मिश्र 16/3/24
(सहायक प्राध्यापक) 1.10 PM

प्रति

विभागाध्यक्ष

कल्याण विभाग शिक्षण

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

संदर्भ : आपका आदेश क्र. 126 Q/BST/2024/19.10.24

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 126 Q/BST/2024/

के तारतम्य में आज दिनांक 19/01/2024 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (GT) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष

हस्ताक्षर Dr. Neelima Tiwari

नाम Dr. Neelima Tiwari

प्रति

विभागाध्यक्ष

वनस्पति विज्ञान

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

संदर्भ : आपका आदेश क्र. 154/वनस्पति विज्ञान/2024

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 154/वनस्पति विज्ञान/2024
के तारतम्य में आज दिनांक 29/3/2024 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (GT) पद पर
अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित।



हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष

हस्ताक्षर Shilpa
नाम Dr. Shilpa Venodis

प्रति

विभागाध्यक्ष

ज-उ विज्ञान विभाग

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

संदर्भ : आपका आदेश क्र. 156/ज-उ विज्ञान विभाग/2024 दिनांक 01/04/2024

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 156/ज-उ विज्ञान विभाग/2024 के तारतम्य में आज दिनांक 01/04/2024 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (GT) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित।


हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष

हस्ताक्षर Shandrewarshi

नाम डॉ. सरिता चन्दावंशी

प्रति

विभागाध्यक्ष

रसायन शास्त्र

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़


विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

संदर्भ : आपका आदेश क्र. 18/रसायन-शास्त्र/2024, दिनांक 01/04/2024

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 18/रसायन-शास्त्र/2024, दिनांक 01/04/24 के तारतम्य में आज दिनांक 01/04/24 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (GT) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित।


हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष

हस्ताक्षर 

नाम Dr. Tanu Kumar Palte
9170990073